उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1
संख्या– 113/XI(1)/2017–50(29)2017
देहरादून, दिनांकः 03 जनवरी, 2018

कार्यालय–आदेश

ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान करने, न्यूनतम वेतन, अवशेष वेतन, छठा वेतनमान का लाभ, टी0ए0, डी0ए0 तथा अन्य लाभ दिये जाने विषयक मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–3371/2017 ग्राम रोजगार सेवक संगठन, उत्तराखण्ड बनाम राज्य सरकार दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 24.11.2017 को निम्नानुसार आदेश पारित किये गये–

After arguing the writ petition at some length, learned counsel for the petitioner confined his prayer only to the extent that the representation of the petitioner may kindly be dierected to be decided by respondent no 3, to which learned Deputy Advocate General has no objection.

writ petition is disposed of by dierecting respondent no. 3 to decide the representation of the petitioner by a reasoned and speaking order, as early as possible, but not later than three weeks of presentation of certified copy of this order in the light of decision of Hon'ble Apex Court in Civil Apeal No 213 of 2013, State of Punjab & others vs Jagjit singh & others, in accordance with law.

needless to say that the decision so taken shall be communicated to the petitioner soon thereafter.

2. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में याचीगणों (ग्राम रोजगार सेवकों) द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 30 नवम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगणों द्वारा अपने प्रत्यावेदन में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रार्थीगणों को नियमित नियुक्ति प्रदान करने, न्यूनतम वेतन, अवशेष वेतन, छठे/सातवें वेतनमान का लाभ, टी0ए0, डी0ए0 तथा अन्य जो भी देय हो व विभागीय कर्मचारियों की भांति सारे लाभ देने का अनुरोध किया गया है।

3. स्पष्ट करना है कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तीन चरणों में प्रारम्भ की गयी। प्रथम चरण (2006–07) जनपद चमोली, चम्पावत एवं टिहरी गढवाल, द्वितीय चरण (2007–08) जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर तथा तृतीय चरण (2008–09) में प्रदेश के समस्त जनपदों में योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सफल संचालन हेतु शासनादेश संख्या–118/XI /08/56(38)2005TC दिनांक 1 जुलाई 2009 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर के लिए 1811 ग्राम रोजगार सेवकों के अस्थाई एवं वितान्य (Flexible Nature) पदों का सृजन किया गया। उक्त पदों का सृजन योजना अवधि तक के लिए ही किया गया है तथा योजना समाप्त होते ही उक्त पद स्वतः समाप्त समझे जायेगें। पदों की निरन्तरता वित्तीय वर्षवार बढायी जाती है। उक्त शासनादेश में व्यवस्था है कि प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी

योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि जो समय–समय पर परिवर्तित होती रहेगी, की 6 प्रतिशत होगा और कार्मिकों की तैनाती आवंटन एवं कार्य के आवश्यकतानुसार ही की जायेगी तथा कार्य कम होने की दशा में कार्मिकों की संख्या में कमी करते हुए व्यय भार कम किया जायेगा। ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय महात्मा गांधी नरेगा के प्रशासनिक मद से मस्टर रोल के आधार पर देय होता है। ग्राम रोजगार सेवकों पर कोई अनुशासनिक नियमावली लागू नहीं होती है। ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर भर्ती न्याय पंचायत स्तर के स्थायी निवासी/ अभ्यर्थियों में से सेवा प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से की गयी है। अतः योजना व पदों की अस्थायी प्रकृति एवं अपनायी गयी चयन प्रकिया को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित नियुक्ति/नियमित किया जाना सम्भव नहीं है।

4. शासनादेश संख्या–136/XI /08/56(3)2007 दिनांक 22 जनवरी, 2010 के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारियों के कर्तव्य सूची (जॉब चार्ट) निर्धारित किये गये हैं, जिसके अनुसार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित होने वाली केन्द्र पोषित, राज्य पोषित एवं वाह्य सहायतित यथा–महात्मा गांधी नरेगा, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वभौम रोजगार योजना, ऋण सह अनुदान योजना, दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना, एकल पेयजल योजना, बायोगैस कार्यक्रम, विधायक निधि, सांसद निधि तथा बीस सूत्री कार्यक्रम आदि समस्त योजनाओं का कियान्वयन किया जाता है। शासनादेश संख्या–118/XI /08/56(38)2005TC दिनांक 1 जुलाई 2009 अनुसार ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना का प्रचार–प्रसार, मस्टरोल का सत्यापन, रख–रखाव, रिपोर्टिगं, योजना के अभिलेखों का रख–रखाव तथा सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अधिकारियों की सहायता करना है। स्पष्ट है कि ग्राम रोजगार सेवकों का कार्य मात्र मनरेगा योजना तक सीमित है, जबकि ग्राम विकास अधिकारी का कार्य विभाग की सभी योजनाओं का सफल कियान्वयन करना है। सिविल अपील संख्या–213/2013 पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 में समान कार्य के लिए समान वेतन हेतु Nature of work done, responsibility, reliability and confidentiality के सिद्वान्तों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी के कार्य की प्रकति, एवं उत्तरदायित्व, विश्वसनीयता एवं गोपनीयता (Nature of work done, responsibility, reliability and confidentiality) ग्राम रोजगार सेवकों से पृथक है। ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर भर्ती न्याय पंचायत स्तर के स्थायी निवासी/ अभ्यर्थियों में से सेवा प्रदात्ता एजेंसी के माध्यम से की गयी है, जबकि ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोर्ड/आयोग के माध्यम से की जाती है। जिससे स्पष्ट है कि दोनों पदों के चयन की प्रकिया (Mode of selection) भी भिन्न–भिन्न है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रोजगार सेवकों को ग्राम विकास अधिकारी के समान वेतन, अवशेष वेतन, न्यूनतम वेतन दिया जाना सम्भव नहीं है।

5. यह भी स्पष्ट करना है कि ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय में समय–समय पर वृद्धि की जाती रही है। इसी कम में शासनदेश संख्या–587/XI /16/56(94)11 दिनांक 14 जून, 2016 के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 9000 रूपये निर्धारित किया गया तथा शासनादेश संख्या–1003/XI /16/53(79)12 दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 के द्वारा 5 प्रतिषत वार्षिक वृद्धि का

भी प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनदेश संख्या–118/XI /08/56(38)2005TC दिनांक 1 जुलाई, 2009 द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों को टी0ए0 दिये जाने का प्राविधान भी पूर्व से ही निर्धारित है तथा शासनादेश दिनांक 30 जुलाई, 2014 के द्वारा आकस्मिक अवकाश भी प्राविधानित है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2017 एवं Civil Apeal No 213 of 2013, State of Punjab & others vs Jagjit singh & others, में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 26 अक्टूबर, 2016 के आलोक में याचीगणों के प्रत्यावेदन दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–113/XI(1)/17/50(25)2017/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र संख्या–11722 दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के कम में।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौडी।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद नौटियाल एवं श्री विजेन्द्र प्रसाद जगुडी, रोजगार समस्त ग्राम सेवक संगठन कर्मचारी को उनके प्रत्यावेदन दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के कम में।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।